

खाँसूरी

कक्षा 4 के लिए
कला की पाठ्यपुस्तक

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

0438 – बाँसुरी

कक्षा 4 के लिए कला की पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-93-5729-010-4

प्रथम संस्करण

जून 2025 आषाढ़ 1947

PD 100T M

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2025

₹ 65.00

एन.सी.ई.आर.टी. वॉटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा गोयल ऑफसेट वर्क्स प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 370-371, 374-375, फेज-V, सेक्टर-56, कुंडली, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटो प्रतिलिपि, रिकॉडिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस, श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708
108, 100 फीट रोड, हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे, बनाशंकरी III इस्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740
नवजीवन ट्रस्ट भवन, डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446
सी.डब्ल्यू.सी. कैपस, निकट : धनकल बस स्टॉप पनहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454
सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स, मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	एम.वी. श्रीनिवासन
मुख्य संपादक	:	बिज्ञान सुतार
मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी)	:	जहान लाल
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	अमिताभ कुमार
सहायक संपादक	:	मीनाक्षी
सहायक उत्पादन अधिकारी	:	सायुराज ए.आर.

डिजाइन, चित्रांकन एवं लेआउट: विघ्नेश प्रफुल्ल कराडकर

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रकल्पित विद्यालयी शिक्षा का बुनियादी स्तर बच्चों के समग्र विकास के लिए, उन्हें न केवल हमारे देश की संस्कृति और संवैधानिक व्यवस्था एवं अमूल्य संस्कारों को आत्मसात करने का अपितु बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकज्ञान अर्जित करने का भी अवसर प्रदान करता है जिससे वे अधिक चुनौतीपूर्ण आरंभिक स्तर के लिए पूर्णरूपेण तैयार हो सकें।

आरंभिक स्तर, बुनियादी और मध्य स्तरों के बीच एक सेतु का काम करता है, जो विद्यालयी शिक्षा की वह तीन वर्षीय अवधि है, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 सम्मिलित हैं। यह कहना अनावश्यक होगा कि इस स्तर पर बच्चों को मिलने वाली शिक्षा, आवश्यक रूप से आधारभूत स्तर के शिक्षा उपागम पर आधारित होगी। खेल आधारित, खोज और गतिविधि द्वारा सीखने-सिखाने की विधियाँ सतत रहेंगी लेकिन इसी बीच इस स्तर पर बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और कक्षाओं से अधिक औपचारिक रूप में परिचित कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को कठिन स्थिति में डालना नहीं है अपितु उनमें पठन, लेखन एवं वाचन के साथ-साथ चित्रकला और संगीत इत्यादि के माध्यम से समग्र अधिगम और आत्म-अन्वेषण के लिए सभी विषयों के द्वारा आधार तैयार करना है। अतः इस स्तर पर बच्चे भाषाओं, गणित, आरंभिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ ही शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा व पर्यावरण शिक्षा से भी परिचित होंगे। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का संज्ञानात्मक-संवेदनात्मक तथा भौतिक-प्राणिक स्तरों पर समग्र विकास हो ताकि वे सहजता से मध्य स्तर में प्रवेश कर सकें।

कला के लिए कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक *बाँसुरी* उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकसित की गई है। इस विषय को पहली बार औपचारिक रूप से पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया गया है। पाठ्यपुस्तक को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* और *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* की अनुशंसाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। यह पाठ्यपुस्तक इस विकासात्मक चरण के लिए आवश्यक वैचारिक समझ, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, मूल्यों और प्रवृत्तियों पर बल देती है।

इसमें समावेशिता, बहुभाषिकता, लैंगिक समानता और संस्कृति की मूल परंपराओं जैसे संबद्ध विषयों को सम्मिलित किया गया है, जो उचित सूचना-संचार प्रौद्योगिकी और विद्यालय आधारित आकलन को एकीकृत करते हैं। पुस्तक में संकलित आकर्षक

सामग्री और गतिविधियाँ विद्यार्थियों को आकर्षित करने और सुरुचिपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई हैं, जिससे विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव भी समृद्ध होता है।

यहाँ पाठ्यपुस्तक के शैक्षणिक उद्देश्य को याद रखना महत्वपूर्ण है, जिसमें समझ, आलोचनात्मक सोच, तर्क और निर्णय लेने की दक्षता पर बल दिया गया है। इस स्तर पर बच्चों की सहज जिज्ञासा, उनके प्रश्नों को संबोधित करके और मूल शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित गतिविधियों को तैयार करके पोषित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर खिलौनों और खेलों द्वारा शिक्षा केवल आकर्षण उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि जुड़ाव बढ़ाने के लिए है।

यद्यपि यह पाठ्यपुस्तक सामग्री-संपन्न है तथापि बच्चों को इस विषय पर अतिरिक्त संसाधनों की भी खोज करनी चाहिए। विद्यालयी पुस्तकालयों द्वारा इस विस्तारित शिक्षा को सुविधा-संसाधन संपन्न बनाया जाना चाहिए। साथ ही माता-पिता और शिक्षकों को उनके प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

एक प्रभावी शिक्षण वातावरण विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, उन्हें व्यस्त रखता है और सीखने के लिए आवश्यक जिज्ञासा और उत्कंठा को बढ़ावा देता है।

इस विश्वास के साथ, मैं यह पुस्तक आरंभिक स्तर के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अनुशंसित करता हूँ। मैं इस पाठ्यपुस्तक के विकास में सम्मिलित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस उत्कृष्ट प्रयास को साकार किया है और आशा करता हूँ कि यह पुस्तक सभी संबंधित लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी।

व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों को निरंतर परिष्कृत करने के प्रति समर्पित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् आपकी टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी, जिनसे भावी संशोधनों में सहायता ली जा सकती है।

नई दिल्ली
जून 2025

दिनेश प्रसाद सकलानी
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

पुस्तक के बारे में

कक्षा 4 में एक बार पुनः आपके लिए कला की पाठ्यपुस्तक *बाँसुरी* लेकर आए हैं। आप कक्षा 3 में *बाँसुरी* पढ़ चुके हैं। आपको उसमें संकलित बहुत सारी गतिविधियों को करने में आनंद आया होगा। इस वर्ष आपको गतिविधियाँ करने में और भी अधिक आनंद आएगा। इस वर्ष पहले से अधिक गतिविधियाँ हैं, जैसे— चित्रकारी, शिल्प, गायन, वादन, अभिनय, नृत्य इत्यादि! इस प्रकार कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक आपको विभिन्न कला रूपों में कौशल और दक्षता के आगामी स्तर पर ले जाएगी।

जैसा कि आप जानते हैं कि यह पाठ्यपुस्तक *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* और *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.-एस.ई.) 2023* पर आधारित है। इन दस्तावेजों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे पाठ्यचर्या लक्ष्यों तथा दक्षताओं को आयु एवं स्तर के अनुकूल प्राप्त करें। सीखने के प्रतिफलों के आधार पर एक पाठ्यक्रम भी विकसित किया गया है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अनुशंसा के अनुसार कला की कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय होगा, साथ ही यह भी अनुशंसित है कि विद्यालय कला के लिए शैक्षणिक सत्र में कम-से-कम 100 घंटे देना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें चार कलाएँ— दृश्य कला, रंगमंच, संगीत और नृत्य हैं। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक *बाँसुरी* को चार इकाइयों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक ईकाई में संबंधित अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। प्रत्येक अध्याय में कई गतिविधियाँ हैं जिन्हें इस कक्षा के बच्चे आपके सहयोग से आसानी से कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

इस पाठ्यपुस्तक में एक ऐसा सूत्र विद्यमान है जो सभी कला रूपों और गतिविधियों को जोड़ता है, जैसे—पंचतंत्र की खरगोश और शेर की कहानी, जिससे शायद आप पूर्व-परिचित हों। कहानी के पात्र अलग-अलग संदर्भों में आपके सामने आते रहेंगे।

सीखने की प्रक्रिया इतनी रोचक होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वर्ष कब बीत गया और आप अगली कक्षा और उच्चतर स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाएँगे।

पाठ्यपुस्तक की समग्र भावना आपको समूहों में मिलकर काम करने, विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों का संचार करने, सभी साथी विद्यार्थियों की कलात्मक यात्रा को आत्मसात करने, समावेशी वातावरण में काम करने, अपनी राष्ट्रीय विरासत की जड़ों के प्रति सचेत होने आदि के लिए प्रोत्साहित करती है।

© NCERT
not to be republished

पाठ्यपुस्तक (बाँसुरी) का उपयोग कैसे करें

यह पाठ्यपुस्तक चार इकाइयों में विभाजित की गई है और बच्चे इन्हें आसानी से समझ सकें इसलिए प्रत्येक इकाई को एक अलग रंग दिया गया है। बच्चों को आरंभ में ही बताया जा सकता है कि नीचे दिए गए रंग किस कला के लिए हैं—

पीला दृश्य कला के लिए

बैंगनी रंगमंच के लिए

नीला संगीत के लिए

गुलाबी नृत्य के लिए

पाठ्यपुस्तक की चारों इकाइयाँ अलग-अलग हैं, लेकिन साथ ही इनमें समानताएँ भी हैं। प्रत्येक इकाई कला के उस रूप के बारे में एक परिचय के साथ शुरू होती है जिसे सीखने वाला अनुभव करेगा। आपके लिए गतिविधियों को व्यवस्थित करने, संसाधनों की खोज करने के लिए प्रत्येक अध्याय के क्यू.आर. कोड विशेष रूप से लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करके आप अतिरिक्त संसाधनों तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी पहुँच इंटरनेट तक नहीं है तो ऐसे में आप या तो बच्चों को कला प्रदर्शन स्थलों पर ले जा सकते हैं या स्थानीय कलाकारों, लोक संगीतकारों, नर्तकों एवं अन्य कलाकारों को बच्चों पर परस्पर संवाद के उद्देश्य से विद्यालय में आमंत्रित कर सकते हैं। कई अभिभावक और समुदाय के अन्य सदस्य जो किसी कला में पारंगत हैं, वे बच्चों के सामने उस कला का प्रदर्शन करने हेतु सहमत हो सकते हैं। विद्यालयों में कलाकारों आदि के साथ वार्ता सत्रों का आयोजन किया जा सकता है, जिनमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, यह बच्चों के लिए प्रेरणाप्रद होगा। बच्चे अपने आस-पास, प्रकृति एवं दैनिक गतिविधियों का अवलोकन करें, इसके लिए आप उन्हें कक्षा से बाहर विद्यालय परिसर में ले जाएँ। नाटक, नृत्य-प्रदर्शन, संगीत समारोह और कला प्रदर्शनी आदि देखने के लिए शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन करने से बच्चों को प्रेरित करने में सहायता मिलती है। इस पाठ्यपुस्तक में अनेक गतिविधियाँ सुझाई गई हैं, आप इसमें अन्य गतिविधियों को भी समावेशित कर सकते हैं, जिनमें विषय के अनुरूप उपलब्ध स्थानीय सामग्री और संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।

आपकी समय-सारिणी इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि बच्चों को प्रत्येक सप्ताह आवंटित सभी चार कला रूपों के लिए निर्दिष्ट कालांशों का अवसर प्राप्त हो। जहाँ भी संभव हो, बाल गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए एक कालांश या दो संयुक्त कालांश रखे जा सकते हैं क्योंकि सभी गतिविधियाँ काफी आकर्षक एवं आनंददायक होती हैं। कक्षा 3 की भाँति प्रत्येक कला कक्षा की शुरुआत करने से पहले बच्चे आँख बंद करके पिछली कक्षा में क्या किया गया, उस पर ध्यान दे सकते हैं। गतिविधियाँ आरंभ करने से पूर्व वे प्राचीन भारतीय ग्रंथ *नाट्य शास्त्र* पर आधारित नंदिकेश्वर द्वारा रचित *अभिनय दर्पण* से निम्नलिखित श्लोक का पाठ कर सकते हैं—

अङ्गिकंभुवनंयस्य, वाचिकंसर्ववाङ्मयम्।

आहार्यचन्द्रतारादि, त्वन्देसात्त्विकंशिवम्॥

अर्थ— जहाँ शरीर ही ब्रह्मांड है, वाणी ही समस्त ध्वनियों का सार है,
आभूषण ही चंद्रमा और तारे हैं, मैं उस परम दिव्यता को नमन करता हूँ।

कक्षा के अंतिम 10 मिनट चर्चा के लिए रखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, रंगमंच इकाई में सुझाव दिया गया है शिक्षक सभी बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करें, परंतु इस समय यह चर्चा बच्चों के लिए अनौपचारिक हो। इस समय शिक्षक बच्चों से टिप्पणियाँ ले सकते हैं, जिन्हें वे अगली पाठ योजनाओं में सम्मिलित कर सकें।

अपने अवलोकन और चर्चाओं के माध्यम से एक बच्चे में योग्यता और कौशल विकास के स्तर की प्रगति को चिह्नित करने के लिए आकलन के उपाय भी सुझाए गए हैं। कला में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के पैमाने का उपयोग न किया जाए, इस स्तर पर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, सुधार की संभावना सदैव बनी रहती है और बच्चों को अवधारणाओं की समझ के साथ गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा उनके लिए एक लंबी यात्रा है और हर बच्चा भिन्न है, उनके कौशल और अभिव्यक्ति के तरीके भी भिन्न हैं और यह भिन्नता ही उनके बालपन की सुंदरता है। उनके प्रदर्शन की तुलना कक्षा में किसी से नहीं की जानी चाहिए, अपितु सुधार लाने हेतु उनकी प्रतिस्पर्धा स्वयं से होगी।

कला कक्षा के लिए आपको क्या-क्या चाहिए?

सभी कला गतिविधियों के लिए आपको प्रकाशयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है जो कक्षा के अंदर या बाहर हो सकता है, जहाँ बच्चे मुक्त रूप से कला संबंधी गतिविधियाँ कर सकें। आपको रंगमंच में आवश्यक वस्तुओं के लिए सुलभ सामग्री; कला सामग्री के उपकरण और मूलभूत स्टेशनरी, सामग्री को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए स्थान, साथ ही व्यवस्थित तरीके से विद्यार्थियों की कलाकृतियों को प्रदर्शित और साझा करने के लिए प्रदर्शन पटल, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, संगीत वाद्ययंत्रों आदि की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि वस्तुओं का उपयोग उचित प्रकार से किया जा रहा है और ये स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं।

हम आशा करते हैं कि यह पाठ्यपुस्तक प्रत्येक शिक्षक और अभिभावक के लिए उपयोगी, रोचक और संसाधनपूर्ण सिद्ध होगी। यह प्रत्येक कला कक्षा को रोमांचक बनाएगी और उसका विस्तार करते हुए उसके अन्य आयामों को उद्घाटित करेगी। हम इस पुस्तक की संरचना व सामग्री को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। यह पाठ्यपुस्तक दृश्य कलाओं और प्रदर्शन कलाओं को प्रत्येक बच्चे के विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने, उन्हें भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने और संतुलित नागरिक बनने के लिए कौशल विकसित करने का एक निरंतर प्रयास है।

ज्योत्स्ना तिवारी

सदस्य-समन्वयक

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

कला एवं सौंदर्यबोध शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (एन.एस.टी.सी.)

1. महेश चंद्र पंत, कुलाधिपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (अध्यक्ष)
2. मञ्जुल भार्गव, प्रोफेसर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी (सह-अध्यक्ष)
3. सुधा मूर्ति, प्रतिष्ठित लेखिका एवं शिक्षाविद
4. बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)
5. शेखर मांडे, पूर्व महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. एवं प्रतिष्ठित प्रोफेसर, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
6. सुजाता रामदोरई, प्रोफेसर, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा
7. शंकर महादेवन, संगीत विशेषज्ञ, मुंबई
8. यू. विमल कुमार, निदेशक, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी, बेंगलुरु
9. मिशेल डैनिनो, विजिटिंग प्रोफेसर, आई.आई.टी., गांधीनगर
10. सुरीना राजन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), हरियाणा एवं पूर्व महानिदेशक, एच.पी.ए.
11. चामू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय
12. संजीव सान्याल, सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)
13. एम.डी. श्रीनिवास, अध्यक्ष, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, चेन्नई
14. गजानन लोंढे, हेड, प्रोग्राम ऑफिस, एन.एस.टी.सी.
15. रेबिन छेत्री, निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., सिक्किम
16. प्रत्यूष कुमार मंडल, प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
17. दिनेश कुमार, प्रोफेसर, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
18. कीर्ति कपूर, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
19. रंजना अरोड़ा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली (सदस्य-सचिव)

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समूह

अध्यक्ष

संध्या पुरेचा, अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली

योगदान

अराधना गुप्ता, कलाकार, मार्गदर्शक, एन.एम.एम. और अध्यक्ष, ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क सोसाइटी (जी.के.एन.एस.)

बिदिशा हाजरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कला शिक्षा, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

बिंदु सुब्रमण्यम, गायिका-संगीतकार और सह-संस्थापक, सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (एस.ए.पी.ए.— सापा)

ज्योति भट, भरतनाट्यम संकाय, पूर्ण प्रमति, बेंगलुरु

कपिल शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, नाट्य विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय

मानसी प्रसाद, कर्नाटक गायिका, बोर्ड सदस्य (पूर्व निदेशक), इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस म्यूजियम, कला परामर्शदाता

मालविका राजनारायण, दृश्य कलाकार और शिक्षिका तथा विजिटिंग फैकल्टी, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रियदर्शिनी घोष, नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और नृत्य विदुषी, कलात्मक निदेशक, प्रियदर्शिनी आर्ट्स, कोलकाता

राजश्री एस.आर., एन.एस.टी.सी. कार्यक्रम कार्यालय, थिएटर परामर्शदाता, चाणक्य विश्वविद्यालय; संस्थापक-निदेशक, व्योमा

आर्टस्पेस एंड स्टूडियो थिएटर, बेंगलुरु

शिवांगी पुरोहित, उप-प्रधानाचार्य, ज्योति पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली

सिद्धि गुप्ता, संकाय सदस्य, सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु

सुधन्वा ए.के., नाट्य संकाय, श्री विद्या केंद्र; संस्थापक, नवक्षितिज थिएटर, बेंगलुरु

अनुवादक

आलोक तिवारी, लेक्चरर, डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, नई दिल्ली
अरूणा कुमारी, पी.आर.टी. संगीत, पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय, दानापुर कैंट (प्रथम पाली), पटना
कपिल शर्मा, सहायक आचार्य, नाट्य शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय
मुकेश भारती, प्राथमिक अध्यापक, संगीत, पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश
शिव कुमार शुक्ला, पी.जी.टी. संगीत, हाई स्कूल, भभुआ, बिहार
रचना गुप्ता, आर.टी. संगीत, पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय, ललितपुर
ऋतु जैन, टी.जी.टी. कला शिक्षा, पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय, ए.एफ.एस. तुगलकाबाद, नई दिल्ली

समीक्षक

अनुराग बेहर, सदस्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर्यवेक्षण समिति
मञ्जुल भार्गव, प्रोफेसर एवं सह-अध्यक्ष, एन.एस.टी.सी.
अनुराधा पाल, तबला वादक, बहु-संगीत वाद्य कलाकार एवं संगीतकार

सदस्य-संयोजक

ज्योत्स्ना तिवारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कला एवं सौंदर्यबोध शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर्यवेक्षण समिति के सम्मानीय अध्यक्ष और सदस्यों, पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह (सी.ए.जी.) के अध्यक्ष और सदस्यों को कला एवं अन्य संबंधित सी ए जी के क्रॉस-कटिंग विषयों पर उनके दिशानिर्देशों, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए और एन.एस.टी.सी. कार्यक्रम कार्यालय के सदस्यों को इस पाठ्यपुस्तक के विकास में निरंतर सहायता एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देती है। हम पाठ्यपुस्तक को उत्तम बनाने के लिए सभी विभागाध्यक्षों और क्रॉस-कटिंग क्षेत्रों के संकाय सदस्यों द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सुझावों के लिए आभारी हैं।

परिषद् उन संस्थानों, संगठनों, व्यक्तियों का आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने हमें लिखित सामग्री, चित्रण, फोटो और श्रव्य-दृश्य सामग्री के रूप में अपने संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं— संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली; कला उत्सव अभिलेखागार, रा.शै.अ.प्र.प.; सांस्कृतिक साधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली; व्योमा आर्ट स्पेस एंड स्टूडियो थिएटर, बेंगलुरु; सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (एस.ए.पी.ए.- सापा), बेंगलुरु; प्रियदर्शिनी आर्ट्स, कोलकाता; ज्योति पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली; पुरपरमति पाठशाला, बेंगलुरु; स्मार्ट लर्नर्स अकेदमी, कोलकाता; अजीम प्रेमजी फाउंडेशन; तमिल संगम, सी.आई.ई.टी., तमिलनाडु; राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली; गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, स्यालीधर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड; जवाहर नवोदय विद्यालय, ओंगोल, आंध्र प्रदेश; आर्टिसनप्राइड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक; चिल्ड्रनस लिटिल थिएटर, कोलकाता; ओडिशा क्राफ्ट्स म्यूजियम, भुवनेश्वर; ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क सोसाइटी, देहरादून; पी. एंड टी. सेकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली; नॉलेजग्राम इंटरनेशनल स्कूल, पटना और संचिता मुंशी साहा, नृत्यभाष, कोलकाता।

रा.शै.अ.प्र.प. पद्म विभूषण डॉ. एल. सुब्रमण्यम, वायलिन वादक और संगीतकार, लक्ष्मीनारायण ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एल.जी.सी.ई.) के संस्थापक; अंबी सुब्रमण्यम, वायलिन वादक और संगीतकार, सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह-संस्थापक; महेश राघवन, संगीतकार अक्षय अनंतपद्मनाभन, संगीतकार; प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली; किशोर माधवन, किशोर माधवन फोटोग्राफी; सानिका सेनगुप्ता, डिजाइनर और कलाकार; प्रियंका के. मोहन

और यक्षा देगुला, बेंगलुरु; श्रेष्ठा सुरेश फोटोग्राफर और कलाकार; सुभाशीष पाणिग्रही, भारतीय अभिलेखपाल और डॉक्यूमेंट्री वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और भाषा समीक्षा और संपादन कार्य में सहायता देने के लिए निधि एम. शास्त्री, एन.एस.टी.सी., प्रोग्राम आफिस के अमूल्य योगदान और समर्थन के लिए आभार प्रकट करती है।

परिषद् कला एवं सौंदर्यबोध शिक्षा विभाग में कार्यरत सीनियर रिसर्च एसोसिएट (एस.आर.ए.) प्रतीक रंजन झा, विवेक कुमार, अजय कुमार तथा जूनियर प्रोजेक्ट फैलो, शैलेन्द्र कुमार, नेहा सिंह, दीपक कुमार ठाकुर, ऋचा शर्मा को भी उनके सराहनीय योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है।

परिषद् इस पुस्तक के संपादन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशन प्रभाग के सदस्यों में मोहन शर्मा, सहायक संपादक (संविदा); अलका दिवाकर, कमल भाटी और अंचिका सिंह, प्रूफरीडर (संविदा) द्वारा पांडुलिपि को आकार देने तथा पुस्तक का स्वरूप प्रदान करने के लिए पवन कुमार बरियार, प्रभारी, डी.टी.पी. प्रकोष्ठ और पूनम, गीता, विवेक राजपूत और उपासना, डी.टी.पी. ऑपरेटर (संविदा) के प्रयासों की भी सराहना करती है।

समय आवंटन और आकलन

कला शिक्षा की इस पाठ्यपुस्तक में चार इकाइयाँ हैं जो कि कला के चार रूपों पर केंद्रित हैं। ऐसी स्थिति में समय-सारिणी की योजना इस तरह से बनाना महत्वपूर्ण है कि पूरे वर्ष में सभी कला रूपों की शिक्षा समान रूप से विद्यार्थियों को दी जा सके।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुसार, पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए कला शिक्षा के लिए आवंटित समय 100 घंटे (या 40 मिनट के 150 कालांश) हैं। यह पुस्तक इसी समय आवंटन को ध्यान में रखकर लिखी गई है।

उचित यह होगा कि सभी चार कला रूपों को पूरे सप्ताह में विभाजित किया जाए, जिससे कि सभी इकाइयों में प्रगति संबंधी एकरूपता हो। ऐसी प्रणाली से बचना ही उचित होगा, जहाँ दूसरे कला रूप को पहले के पूरा होने के बाद ही लिया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार समय वितरण					
कला रूप	दृश्य कला	संगीत	नृत्य	रंगमंच	बहुविषयक/अनुभवात्मक कार्य
समय (घंटों में)	20	20	20	20	20
40 मिनट के कालांशों की संख्या	30	30	30	30	30

समय-सारिणी

एनसीएफ-एसई 2023 में उदाहरणस्वरूप दी गई समय-सारिणी के अंतर्गत, कला शिक्षा के लिए पूरे सप्ताह में चार कालांश और शनिवार को एक कालांश आवंटित किया गया है। इस दस्तावेज में कालांश संयोजन का भी सुझाव दिया गया है, जहाँ 40 मिनट के दो कालांशों को संयोजित कर गतिविधि आधारित कक्षाओं के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था की जा सकती है।

इससे 80 मिनट (1 घंटा 20 मिनट) का एक विस्तृत कालांश मिलेगा। इन विकल्पों के आधार पर चार कला रूपों के लिए सप्ताह में चार कालांश आवंटित किए जा सकते हैं जबकि शनिवार को अंतःविषय गतिविधियों या कला आधारित क्षेत्र भ्रमणों, जैसे— संगीत कार्यक्रम, प्रदर्शन या कला दीर्घाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

सप्ताह के अंतर्गत अलग-अलग कालांशों के लिए समय-सारिणी (कालांश 40 मिनट)					
सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
	कला शिक्षा (संगीत)		कला शिक्षा (दृश्य कला)		कला शिक्षा (अभ्यास/क्षेत्र भ्रमण)
कला शिक्षा (रंगमंच)		कला शिक्षा (नृत्य)			

सप्ताह के अंतर्गत संयुक्त कालांश के लिए समय-सारिणी (कालांश 80 मिनट)						
सप्ताह	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
सप्ताह 1		कला शिक्षा (संगीत) 2 संयुक्त कालांश अवधि— 80 मिनट		कला शिक्षा (दृश्य कला) 2 संयुक्त कालांश अवधि— 80 मिनट		कला शिक्षा (अभ्यास/क्षेत्र भ्रमण)
सप्ताह 2		कला शिक्षा (रंगमंच) 2 संयुक्त कालांश अवधि— 80 मिनट		कला शिक्षा (नृत्य) 2 संयुक्त कालांश अवधि— 80 मिनट		कला शिक्षा (अभ्यास/क्षेत्र भ्रमण)

40 मिनट के कालांश वाली पहली योजना में प्रत्येक सप्ताह सभी चार कला रूपों के लिए कक्षाएँ होंगी, जबकि दूसरी योजना में प्रति सप्ताह केवल दो कला रूप होंगे। प्रत्येक कला रूप की हर दूसरे सप्ताह में कक्षाएँ होंगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी कला रूप एक साथ आगे बढ़ें क्योंकि इससे विद्यार्थियों को उनके बीच के अंतःसंबंधों को समझने में सहायता मिलेगी, जिससे उनकी समग्र रूप से समझ विकसित होगी।

आकलन

कला शिक्षा में आकलन विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमताओं और कलात्मक विकास को समझने और पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य विषयों के विपरीत, कला शिक्षा आकलन— रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, तकनीकी दक्षता और अभिव्यंजक क्षमताओं सहित कौशल की एक विस्तृत शृंखला का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आकलन न केवल प्रगति और कौशल को मापने के लिए संरचित किए गए हैं बल्कि अन्वेषण, आत्म-अभिव्यक्ति और कला के प्रति गहरी समझ को प्रोत्साहित करने के लिए भी हैं।

आकलन के प्रकार

चूँकि कला शिक्षा में आकलन प्रक्रियाएँ मुख्य रूप से कौशल आधारित होती हैं इसलिए वे बच्चे के 'सही' या 'गलत' उत्तर पर निर्भर नहीं होती हैं। अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आकलन की संरचना, प्रश्न-पत्रों और लिखित उत्तरों के साथ न की जाए क्योंकि इससे कला शिक्षा पाठ्यचर्या में प्रयुक्त दृष्टिकोण का उद्देश्य पूर्णतः विफल हो जाएगा। पोर्टफोलियो, प्रदर्शन समीक्षा, परियोजना आधारित आकलन और विचारशील आत्म-आकलन जैसी विभिन्न आकलन विधियाँ प्रत्येक विद्यार्थी की अनूठी कलात्मक यात्रा में मूल्यवान् अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं।

रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन

- रचनात्मक आकलन प्रत्येक कक्षा में अवलोकन तथा प्रत्येक गतिविधि में बच्चे के प्रदर्शन पर आधारित होता है। अध्याय के अंत में दिए गए रूब्रिक्स पूरे वर्ष के अंक निर्धारण/दक्षता स्तर की संरचना में सहायता करते हैं।
- योगात्मक आकलन के लिए आकलन का एक अलग दिन आवंटित करने की आवश्यकता होती है। पूरे वर्ष कक्षा में आयोजित होने वाली गतिविधियाँ एवं उनकी विविधताओं का उपयोग बच्चे की समझ और विभिन्न कौशलों में अर्जित योग्यताओं और दक्षताओं का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। उत्तम योजना बनाने के लिए प्रत्येक अनुभाग के अंत में उदाहरण दिए गए हैं। विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य को त्वरित रूप से करना होगा।

दक्षता स्तर एवं अंक

विदित है कि कला रचनात्मकता, दृश्यावलोकन, अभिव्यक्ति तथा कल्पना पर केंद्रित है, अतः इसमें 'सही' या 'गलत' उत्तर नहीं होते हैं। अतः इसमें आकलन मानदंडों पर आधारित होता है, जैसे कि अर्जित कौशल का स्तर तथा विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित योग्यताएँ। निष्पक्ष आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रत्येक गतिविधि के लिए योग्यताओं एवं अधिगम प्रतिफलों से पूरी तरह परिचित होना चाहिए।

मानदंडों के अंतर्गत आकलन के लिए एक पाँच-बिंदु पैमाने की अनुशंसा की जाती है। इससे शिक्षक, माता-पिता और विद्यार्थी, प्रगति को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। प्रत्येक अध्याय के बाद दिए गए रूब्रिक में पाँच-बिंदु पैमाने को चिह्नित करने के लिए नीचे दी गई तालिका का संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

इसमें मात्रात्मक आकलन (रूब्रिक के आधार पर अंक या दक्षता स्तर) और गुणात्मक आकलन (बच्चे के व्यवहार, रुचि, प्रगति और अन्य पहलुओं पर शिक्षक के अवलोकन जो रूब्रिक में उल्लेखित नहीं हो सकते हैं) दोनों को संयोजित करना आवश्यक है।

विद्यार्थी का अधिगम स्तर	संख्यात्मक पैमाना	दक्षता स्तर
आरंभिक	1	E
विकासशील	2	D
होनहार	3	C
कुशल	4	B
उत्कृष्ट	5	A

आकलन मानदंड, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के पाठ्यचर्या लक्ष्यों (सी.जी.) और दक्षताओं (कॉम्पटेंसीज) पर आधारित हैं।

भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

मूल अधिकार

समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

स्वातंत्र्य-अधिकार

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।

प्रिय बच्चो,



कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे संसार में पहुँच गए हैं, जहाँ रंग नृत्य करते हैं, संगीत कहानियाँ सुनाता है और आपको पात्र, चित्र या दृश्य तैयार करने और उनको गति देने का अवसर मिलता है। यह वही संसार है जिसका अनुभव आप इस पुस्तक में करेंगे! इस अद्भुत संसार का आरंभ पंचतंत्र की एक कहानी से होता है, जो बुद्धिमत्ता, साहस और आनंद से भरी है। लेकिन यह कोई साधारण कहानी नहीं है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में आप इस कहानी का चार अलग-अलग प्रकारों— दृश्य कला, रंगमंच, संगीत एवं नृत्य के माध्यम से आनंद लेंगे।

आप इसे जैसे-जैसे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि सभी कला रूप परस्पर संबंधित हैं। जैसे कहानी के जानवर आपस में जुड़ते हैं, वैसे ही आप दृश्य कला, रंगमंच, संगीत एवं नृत्य को परस्पर जुड़ते हुए देखेंगे। जिस प्रकार एक पेंटिंग बिना शब्दों के भी कहानी कह सकती है, उसी प्रकार एक नाटक भावनाओं को जीवंत कर सकता है। जिस तरह एक धुन हमें नाचने के लिए प्रेरित कर सकती है, उसी तरह नृत्य उन भावों को व्यक्त कर सकता है जो शब्द नहीं कर सकते। कला हमारे चारों ओर है और इस पुस्तक के माध्यम से आप इसे देखना, अनुभव करना तथा अनेक प्रकार से व्यक्त करना सीखेंगे।

प्रत्येक अध्याय आपको रोमांचक गतिविधियों की ओर ले जाएगा। आप कहानी से एक दृश्य को चित्रित कर सकते हैं, मित्रों के साथ बिताए आनंददायी पलों का अभिनय कर सकते हैं, कहानी के पात्रों से प्रेरित अपनी स्वयं की लय बना सकते हैं या मुद्राओं का उपयोग अलग-अलग भावों की अभिव्यक्ति के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आपको समूह में काम करने का अवसर भी मिलेगा, जैसे पंचतंत्र की कहानी के जानवर करते हैं तथा आप पाएँगे कि सामूहिक कार्य कैसे कला को और सामर्थ्य प्रदान करता है। लेकिन यह यात्रा केवल नई अवधारणाएँ सीखने के बारे में ही नहीं है अपितु यह आपकी अपनी आवाज को खोजने के बारे में भी है। चाहे आपको चित्र बनाना पसंद हो, अभिनय करना, गाना या नृत्य करना, यह पुस्तक आपको इस प्रकार से व्यक्त करने में सहायता करेगी, जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कला में सही या गलत नहीं होता— बस रचने और साझा करने का सुख होता है। तो तैयार हो जाइए— तरह-तरह की वस्तुओं का अन्वेषण करने, प्रयोग करने और अपनी बात व भावनाओं को व्यक्त करने के लिए! जब आप इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ तक पहुँचेंगे, तो आपने मात्र कहानी नहीं पढ़ी होगी, अपितु कला के माध्यम से इसे जिया होगा। आइए, इस जादुई साहसिक यात्रा को आरंभ करें!



विषय सूची

आमुख	iii
पुस्तक के बारे में	v
समय आवंटन और आकलन	xvi
प्रिय बच्चो	xxi

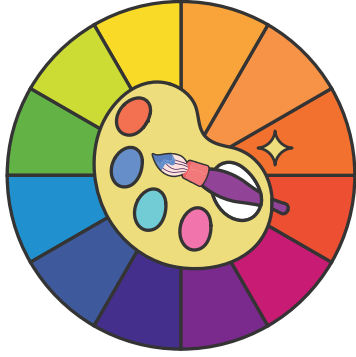
पंचतंत्र	1
----------------	---

दृश्य कला	5
-----------------	---

1. वस्तुओं की व्यवस्था	8
2. प्रकृति में बनावटें	18
3. जलीय जीवन	26
4. व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ	37

रंगमंच	49
--------------	----

5. अन्वेषण!	54
6. कल्पना	61
7. आइए सृजन करें	73
8. आस-पास देखें	82





संगीत 91

9. गाओ और बजाओ	93
10. संगीत बनाना.....	100
11. गीत और कहानियाँ	108
12. सोचें, अनुभव करें, सृजन करें	115
13. ध्वनियाँ और वाद्ययंत्र	127



नृत्य 137

14. मेरा शरीर और नृत्य	139
15. कहानियाँ कहता मेरा नृत्य	150
16. मेरी नृत्य रचना	157
17. नृत्य में भाव और अभिव्यक्ति	170
18. नृत्य मेरे आस-पास	175

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

